प्रेषक,

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)
हरिद्वार।

सेवा में,

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड़
हरिद्वार।

पत्रांकः प्रा0शि0/ 1285 /नियुक्ति/2025–26 दिनांक 10 जून 2025

विषयः सहायक अध्यापक (विशेष शिक्षा) के पद पर चयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या 25747–77 दिनांक 31 मई 2025 के द्वारा शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28 मई 2025 में वर्णित प्राविधानो एवं पदो की संख्या को प्रसारित करने हेतु वर्ष 2023 में निर्गत विज्ञप्ति में आंशिक संशोधन करते हुए पूर्व में प्राप्त आवेदन पत्रों के सापेक्ष अर्ह अभ्यर्थियों के चयन/नियुक्ति हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः उक्त के क्रम में कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28–05–2025 की प्रति, अभ्यर्थियों की सूची एवं संशोधित पदों का आरक्षणवार विवरण विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट कीजिएगा।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय

10/06/25

(आशुतोष भण्डारी)
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)
हरिद्वार।

कार्यालय : जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) हरिद्वार।

आदेश संख्या/प्रा०शि०/ 83 /स०अ०(वि०शि०)/2025–26 दिनांकः 10 जून, 2025

विज्ञप्ति संशोधन

इस कार्यालय के आदेश संख्या/प्रा०शि०/04/स0अ0(वि0शि0)/2022–23 दिनांक 17.04.2023 के द्वारा सहायक अध्यापक, प्राथमिक (विशेष शिक्षा) के पदों पर नियुक्ति हेतु दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी थी। मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड में योजित वाद एवं उनमें पारित अन्तरिम आदेशों के क्रम में उक्त भर्ती स्थगित रही है। मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड में योजित वाद के अन्तिम रूप से निस्तारित हो जाने व मा० न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम आदेशों के अनुपालन करने के मदद्नेजर व अन्य उत्पन्न परिस्थितियों के उपरान्त शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 301551 दिनांक 28 मई, 2025 द्वारा पूर्व आदेश दिनांक 25–03–2023 को संशोधित किया गया है।

पूर्व विज्ञप्ति के द्वारा प्राप्त किये गये आवेदनों पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या : 301551 दिनांक 28 मई, 2025 के अनुसार ही पात्र अभ्यर्थियों की तैयार मेरिट सूची के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा। नये आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे। विज्ञप्ति की शेष शर्ते यथावत् लागू होगी तथा विज्ञप्ति दिनांक 17 अप्रैल, 2023 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28–05–2025 की प्रति, अभ्यर्थियों की सूची एवं संशोधित पदों का आरक्षणवार विवरण विभागीय वेबसाइट www.schooleducation. uk.gov.in पर अपलोड कर दिया गया है। यदि किसी अभ्यर्थी को अपनी पात्रता के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो ऐसे अभ्यर्थी विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर साक्ष्यों सहित प्रत्यावेदन अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को पंजीकृत डाक/दस्ती/ई–मेल deobasic2024@gmail.com के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। पात्र अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र सत्यापन/**काउन्सिलिंग की तिथि दिनांक 24.06.2025 को जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) कार्यालय, हरिद्वार में पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 5:00 बजे तक निर्धारित की जाती है।** काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने मात्र से नियुक्ति प्राप्त किए जाने का दावा मान्य नहीं होगा तथा काउन्सिलिंग में प्रतिभाग न करने वाले अभ्यर्थियों के चयन/नियुक्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

(आशुतोष भण्डारी) 10/06/25
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०),
जनपद–हरिद्वार।

कार्यालय : जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) हरिद्वार।

पृ०सं०/प्रा०शि०/ 1286–87 /स०अ०(वि०शि०)/2025–26 दिनांक : उक्तवत्

प्रतिलिपि –सम्पादक, दैनिक समाचार पत्र, दैनिक जागरण/अमर उजाला/हिन्दूस्तान को इस आशय से कि प्रेषित की उक्त विज्ञप्ति को अपने दैनिक लोकप्रिय समाचार पत्र में न्यूनतम शासकीय दरों पर विज्ञापित करने का कष्ट करेंगे तथा भुगतान हेतु बिल दो प्रतियों कार्यालय को प्राप्त करायें।

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०),
जनपद–हरिद्वार।

कार्यालयः जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, हरिद्वार।

आदेश संख्याः प्रा0शि0 विज्ञप्ति / 84 / स.अ.(वि.शि.) / 2025–26 दिनांक 10 जून, 2025

कार्यालय ज्ञाप

सहायक अध्यापक, प्राथमिक (विशेष शिक्षा) के पदों पर नियुक्ति हेतु पात्र अभ्यर्थियों की मेरिट सूची विभागीय वैबसाईट www.schooleducation.uk.gov.in पर अपलोड कर प्रमाण पत्र सत्यापन / काउन्सिलिंग की तिथि **दिनांक 24 जून 2025** निर्धारित की गयी है। सम्बन्धित अभ्यर्थियों को काउन्सिलिंग में निम्नांकित अभिलेख उपलब्ध कराये जाने आवश्यक होंगे:–

1. समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण अंक पत्र / प्रमाण पत्रों की मूल प्रति।
2. अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अंक पत्र / प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
3. स्थायी निवास / मूल निवास / जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
4. दिव्यांगता से आच्छादित होने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दिव्यांगता प्रमाण–पत्र की मूल प्रति।
5. आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) धारक अभ्यर्थियों द्वारा शासनादेशानुसार नवीनतम् प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
6. भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा निर्गत आर.सी.आई. पंजीकरण प्रमाण पत्र नियमानुसार वैध अर्थात् प्रमाण पत्र अद्यतन होना अनिवार्य है।

नोटः– समस्त अभ्यर्थी काउन्सिलिंग के समय अपने मूल शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य समस्त प्रमाण पत्रों के साथ उनकी दो–दो प्रतियां भी स्वप्रमाणित कर साथ लायेंगे।

10.06.25

(आशुतोष भण्डारी)
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.)
हरिद्वार।

कार्यालय : जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रारम्भिक शिक्षा) हरिद्वार।

आदेश संख्या/प्रा०शि०/ 85 /स०अ०(वि०शि०)/2025–26 दिनांकः 10 जून, 2025

विज्ञप्ति संशोधन

इस कार्यालय के आदेश संख्या/प्रा०शि०/04/स0अ0(वि0शि0)/2022–23 दिनांक 17.04.2023 के द्वारा सहायक अध्यापक (विशेष शिक्षा) के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापित पदों के अन्तर्गत बिन्दु "क" "ग(2)" को निम्नवत् संशोधित किया जाता है।

(क) रिक्तियों की स्थिति– सहायक अध्यापक प्राथमिक (विशेष शिक्षा) के रिक्त पदों का विवरण निम्नवत् है:–

कुल रिक्त पद (02 से 06 का योग)	स्वीकृत पदो का विवरण					PH
	SC	ST	OBC	EWS	UR	
01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*
18	3	1	3	2	9	1

(ग) पात्रता– उत्तराखण्ड राज्य के ऐसे स्थायी निवासी, जिसने :–

(2) शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–301551/XXIV-A-1/2025–12983/2022 दिनांक 28.05.2025 के अनुसार भारतीय पुनर्वास परिषद (आर०सी०आई०) द्वारा मान्यता प्राप्त डी०एड० (विशेष शिक्षा) अथवा अथवा आर०सी०आई० द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष डिप्लोमा प्राप्त की हो, तथा आर०सी०आई० से वैध रूप से पंजीकृत एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्वान्तों के अधीन राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा–प्रथम उत्तीर्ण हो।

पूर्व विज्ञप्ति के द्वारा प्राप्त किये गये आवेदनों पर ही पात्र अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा, नये आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे। विज्ञप्ति की शेष शर्ते यथावत् लागू होगी तथा विज्ञप्ति दिनांक 17.04.2023 को उक्त सीमा तक संशोधित समक्षा जाय।

(आशुतोष भण्डारी)
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०),
हरिद्वार।